


२४-२२ वकील वादी द्वारा नोटिस करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर
पत्रावली आज तलब की गयी
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त
प्रकरण में प्रश्नकारों में आपसी सह-
मति से वाचीनामा हो गया है। इस
आधार पर उक्त प्रकरण को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं तथा नोटिस करना
चाहते हैं, इसलिये नोटिस करने
का आदेश प्रदान करावै।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
का अवलोकन किया एवं वकील
वादी को सुना। चूंकि उक्त प्रकरण

में राजीनामा होने से वादीगण को ही कार्यवाही
नहीं-चाहते हैं। अतः उक्त वाद को नोटिस में
धारिज किया जाता है।

पश्चात् फ़ैसल बुसाव ही करने के
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)